बिहार विधान परिषद् के ज्ञापांक–345(1)/वि०प०, दिनांक–12.02.2026 द्वारा प्राप्त प्रो० गुलाम गौस, मा०स०वि०प० का दिनांक–17.02.2026 को बिहार विधान परिषद् में ध्यानाकर्षण।

ध्यानाकर्षण

बिहार में अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास हेतु स्थापित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत कई बड़ी संस्थाएं हैं जिनमें बिहार उर्दू अकादमी, अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड तथा उर्दू परामर्शदात्री समिति शामिल है।

बिहार उर्दू अकादमी में लगभग 8 वर्षो से पूर्णकालिक सचिव नहीं रहने तथा कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन नहीं होने के कारण यह संस्था द्वितीय राजभाषा उर्दू के विकास के अपने मूल उद्देश्य को पूरा कराने में विफल है। कर्मियों की बहाली बंद है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का भी बुरा हाल है, प्रबंध समितियों से अधिकार छीन लिए जाने के कारण कई वर्षो से शिक्षकों की नियुक्ति बन्द है। विगत कई वर्षों से उर्दू परामर्शदात्री समिति वजूद में नहीं थी। विडम्बना तो यह है कि राज्य में शायद यही एकमात्र सरकारी संस्था है, जिसका कार्यालय नहीं है न ही कोई कर्मचारी है। अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होते ही समिति गायब हो जाती है तथा कार्यालय भी स्वतः समाप्त हो जाता है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में भी कई वर्षो से कर्मचारियों एवं अधिकारियों का घोर अभाव है।

अतः उपरोक्त संस्थाओं को सक्रिय करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार उर्दू अकादमी में कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। बिहार उर्दू अकादमी के दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विभागीय अपर सचिव को बिहार उर्दू अकादमी के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में ज़बान–ओ–अदब पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग पुर्नगठित है। आयोग में सदस्य–सचिव पदस्थापित हैं। आयोग में पदाधिकारियों का कुल स्वीकृत पद– 10 है, जिसमें से 04 कार्यरत हैं तथा कर्मचारियों का कुल स्वीकृत पद– 17 है, जिसमें से 17 कार्यरत हैं। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, शिक्षा विभाग तथा उर्दू परामर्शदात्री समिति मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत आता है।

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ज्ञापांक– अ०स०क०–08(ग)/वि०प०–17/2026 ...753... पटना, दिनांक– 16/02/26

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय को उनके ज्ञापांक–345(1)/वि०प०, दिनांक–12.02.2026 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.2.26

सरकार के अवर सचिव